रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2016/पौष 22, 1937
No. 81] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2016/ PAUSA 22 , 1937

## मानव संसाधन विकास मंत्रालय

### (उच्चतर शिक्षा विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2016

**का.आ. 87(अ).**—योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) 22 जनवरी, 2015 को प्रवृत्त हुआ था ;

और उक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) उसके कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्ययधीन रहते हुए जो कानूनों द्वारा विहित की जाए ऐसे भविष्य या पेंशन निधि या विद्यालय द्वारा बीमा स्कीम प्रदान करने का उपबंध करती है;

और उक्त अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (2) का खंड (क), धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन भविष्य निधि और पेंशन निधि या बीमा स्कीम प्रदान करने के लिए रीति और शर्तों से संबंधित नियम बनाने का उपबंध करता है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के उपबंधों को प्रभावी करने में निम्नलिखित कठिनाई उत्पन्न हुई है कि धारा 37 की उप-धारा (2) का खंड (क) अनुचित और संदर्भ से बाहर हो गया है कि भविष्य निधि या पेंशन निधि या बीमा स्कीम कानून द्वारा विहित होने चाहिए न कि नियमों द्वारा ।

अतः , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त कठिनाई को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम योजना और वास्तुकला विद्यालय (कठिनाईयों को दूर करना) दूसरा आदेश, 2015 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम 2014 की धारा 37 की उपधारा (2) के खंड (क) का लोप किया जाएगा और विद्यमान खंड (ख) और (ग), क्रमशः खंड (क) और (ख) के रूप में पुनः संख्यांकित किए जाएंगे ।

[फा. सं. 3-11/2015-टी एस-6]

एस. पी. गोयल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

### (Department of Higher Education)

### ORDER

New Delhi, the 8th January, 2016

**S.O. 87(E).—**Whereas, the School of Planning and Architecture Act, 2014 ( 37 of 2014) (hereinafter referred to as the said Act) came into force on 22nd day of January, 2015;

And, whereas, sub-section (1) of section 26 of the said Act provides for the constitution of such provident or pension fund or provide insurance scheme by the School for the benefit of its employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes;

And, whereas, clause (a) of sub-section (2) of section 37 of the said Act provides for making of rules relating to the manner and the conditions for providing provident fund and pension fund or insurance scheme under sub-section (1) of section 26;

And, whereas, the following difficulty has arisen in giving effect to the provisions of sub-section (1) of section 26 of the said Act that clause (a) of sub-section (2) of section 37 has become improper and out of context and that the provident fund or pension fund or insurance scheme is to be prescribed by the Statutes and not by the rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 40 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Order to remove the aforesaid difficulty, namely:—

**1.** **Short title and commencement**.—(1) This Order may be called the School of Planning and Architecture (Removal of Difficulties) Second Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

**2.** In the School of Planning and Architecture Act, 2014, in section 37, in sub-section (2), clause (a) shall be omitted and existing clauses (b) and (c) shall be re-numbered as clauses (a) and (b) respectively.

[F. No. 3-11/2015-TS.-VI]

S. P. GOYAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.